5418 (E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत खुरहान–परैल–रतवारा–कपसिया पथ के 8वें कि०मी० से 12वें कि०मी० (कुल लम्बाई–5.0 कि०मी०) तक में उन्नयन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015–16 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–254(अनु०), दिनांक 01.06.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत खुरहान– परैल– रतवारा– कपसिया पथ के 8वें कि०मी० से 12वें कि०मी० (कुल लम्बाई–5.0 कि०मी०) तक में उन्नयन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015–16
2.2	एकरारनामा संख्या	: 05/CMBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹805.09 लाख।
2.4	संवेदक का नाम	CHANDAN KUMAR SINGH.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	: 05.09.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	: 04.03.2017
2.7	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	: 31.03.2018

15.7.19

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) अकार्यवधि में एकरारनामा संपन्न होने के कारण विलंव– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि सड़क कपसिया, मुरौत नदी एवं सुखार घाट नदी के कारण बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में है। कार्य के एकरारनामा दिनांक 05.09.2015 को सम्पन्न हुआ। परन्तु उस वक्त बाढ़ के कारण कार्यस्थल पर जल जमाव होने के कारण कार्य दिनांक 01.11.2015 को प्रारंभ किया जा सका।

उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 56 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गयी है।

(ii) रेलवे रैक की अनुपलब्धता– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि रेलवे रैक की अनुपलब्धता के कारण ट्रक से मिरजा चौकी से स्टोन चिप्स की ढुलाई के कारण कार्य में विलंब हुआ।

उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 122 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 105 दिनों की अनुशंसा की गयी।

(iii) बाढ़ एवं जल जमाव के कारण विलंव– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्यस्थल कोशी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें तीन ओर कपसिया, सुखार तथा मुरौत नदी होने के कारण वर्षात में कार्यस्थल पर जल जमाव हो जाता है। जिसके कारण कार्य दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 31.10.2016 एवं दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.10.2017 तक कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा इस मद में 240 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 182 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iv) अन्य संवेदक के कार्य के कारण विलंब– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि पथ के 9वें कि०मी० में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके कारण निर्माण सामग्रियों की ढुलाई में कठिनाई उत्पन्न हुआ।

उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा कुल 49 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा के आलोक में सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

15.7.19

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :

5.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–254(अनु०), दिनांक 01.06.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत खुरहान– परैल– रतवारा– कपसिया पथ के 8वें कि०मी० से 12वें कि०मी० (कुल लम्बाई–5.0 कि०मी०) तक में उन्नयन कार्य एवं पथ अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015–16 (एकरारनामा सं0–05/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक 31.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

15.7.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव–सह–
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध(स०वि०)–03–105/2019– 5418 (E) पटना, दिनांक– 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।